न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 – 04 / 2015

तारीख रजू – 02.03.2015

उनवान

जमालू पुत्र लम्बे जाति मुसलमान निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

– सायल

विरूद्ध

भूरसिंह पुत्र गन्जे

बलवीर पुत्र भूरसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी निसूरा तहसील टोडाभीमम जिला करौली

– गैरसायलान

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति

श्री हरकेश मीना एडवोकेट – वकील सायल

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – वकील गैरसायलान

दिनांक :– **13.04.2017**

निर्णय

सायल ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 691 रकवा 0.21 हेक्टयर ग्राम निसूरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसमे सायल 1/14 हिस्से का खातेदार है शेष हिस्से के अन्य सह खातेदार हिस्सेदार है। आराजी खसरा नं0 691 के साथ साथ उपरोक्त खाते में अन्य आराजी कुल किता 11 कुल रकवा 1.44 हेक्टयर जिसमे वादी सायल वहिस्सा 1/14 हिस्से का हिस्सेदार है तथा बाहमी बटवारे मे सायल के हिस्से मे खसरा नं0 691 आया है। गैरसायलान का उपरोक्त आराजी से कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है। गैरसायलान लठैत मुठमर्द व गिरोहवंद व्यक्ति है जिन्होने एक गिरोह गठित कर रखा है तथा वे येन केन प्रकारेन सायल को अपनी आराजी से महरूम रखकर उसपर कब्जा करना चाहाते है तथा सायल को अपनी फसल से वंचित रखनां चाहाते है। उक्त आराजीयात सायल एवं अन्य सहखातेदार की

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

आराजी है जिससे सायल व अन्य सहखातेदारो के अलावा प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है। वाका दिनांक 28.02.2015 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपनी आराजी खसरा नं0 691 मे खडी फसल की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादीगण/गैरसायलान एक राय होकर आ गये तथा गाली गलौच करने लगे कि तेरी इस आराजी पर आने की हिम्मत कैसे हुई, इस पर सायल द्वारा उन्हे समझाया कि भाइयो कि उक्त आराजी मैने काश्त की है तो देखभाल मे ही करूगा इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये कि फसल को हम ही दरोह करेगे तथा तूने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तेरे पैर तोड देगे तेरी समस्त आराजी पर कब्जा करके तुम्हे गॉव से भगा देगें। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ण मे कामयाब हो गये तो रकसायल के अपूतर्नीय क्षति हो जावेगी। सायल के पक्ष मे प्राईमाफेसी केस साबित है सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूतर्नीय क्षति हो जावेगी तथा रिलिफ चाही है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अज्र से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नं0 691 रकवा 0.21 हेक्टयर ग्राम निसूरा सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा नही करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करे ना किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडें। मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर नोटिस विपक्षीगण को जारी किये गये। विपक्षीगण के वकील ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया तथा जबाब मे कथन किया कि भूमि खसरा नं0 691 के साथ साथ अन्य खसरा नम्बरान मे सायल के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी दर्ज है। सायल ने अपनी खातेदारी की भूमि को गैरसायल भूरसिंह को मिति भादो सुदी दौज सम्वत् 2067 को विक्रय कर दिया है तथा इस विक्रय के संबंध मे वादी जमालू खॉ ने गैरसायल भूरसिंह के हक मे तथा भूरसिंह की बही मे एक लिखावट लिख दी है। सायल जमालू खॉ ने प्रतिवादी भूरसिंह से राशि 1,21,900 रूपये रोकडी दो रूपया सैकडा प्रतिमाह की दर से नगद उधार लिये थे तथा यह भी इकरार किया था कि भविष्य मे रूपया जमा नही कराउ तो खेत सभला दूगॉ तथा ये खेत टयूबबैल के पास का है जिसका खसरा नं0 691 है इस लिखापढी पर जमालू खान के हस्ताक्षर है तथा बोदयाराम ने अपनी कलम से तहरीर व तकमील किया है इसके बाद मुताबिक मुहायदा सायल जमालू खान ने

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

गैरसायल भूरसिंह के नगद राशि व ब्याज अदा नही किये है तथा खुद स्वंय जमालू खान ने विवादित खेत पर गैरसायल भूरसिंह का मौके पर कब्जा सभला दिया और कहा कि इस खेत का मालिक भूरसिंह ही रहेगा। इस प्रकार गैरसायल भूरसिंह का इस विवादित भूमि पर भादो सुदी दौज सम्वत् 2068 से आज तक वैध व सहमति से कब्जा है तथा सायल जमालू की नियत मे बेईमानी है और वह इस प्रार्थनापत्र के जरिये गैरसायल से भूमि को जबरदस्ती बेईमानी पूर्वक छीनना चाहता है जिसकी इजाजत कानूनन नही दी जा सकती है। भूमि विवादित पर सायल का कब्जा नही है तथा प्रार्थनापत्र मे कब्जे वापसी की रिलिफ भी सायल ने नही चाही है और रूटीन तरीके से तथ्यो को छुपाकर प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा मे पेश कर दिया है जो कानूनन खारिज होने योग्य है। सायल जमालू ने इस विवादित भूमि को गैरसायल से बेईमानी पूर्वक छीनने की गरज से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जमालू ने अपनी पत्नि की तरफ पुलिस थाना श्रीमहावीरजी मे प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 226 दिनांक 15.11.2014 कतई झूठी व भूमि को छीनने की गरज से दर्ज करायी थी तथा दौराने तफतीश पुलिस थाना श्रीमहावीरजी ने इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को झूठी मानते हुये गैरसायल भूरसिंह के खिलाफ धारा 447 आई0पी0सी0 मे चार्जशीट पेश की है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल भूरसिंह का विवादित भूमि पर प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व वैध कब्जा था इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाये।

दौराने बहस वकील सायल ने प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि सायल भूमि विवादित मे हिस्सा 1/14 के खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की है। विपक्षीगण के वकील ने दौराने बहस जबाबदावे मे उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाये। गैरसायलान ने अपने सबूत मे नकल चार्जशीट, एफ0आई0आर0 सं0 226/14 थाना श्रीमहावीरजी नकल बयान धारा 161 जाब्ता फौजदारी, नकल विकयनामा बही मिति भादो सुदी दौज सम्वत् 2067 प्रस्तुत की तथा कथन किया कि इसी विवादित भूमि के संबंध मे उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट जमालू की पत्नी श्रीमति सरीफन ने दर्ज कराई थी जिसमे दौराने तफतीश पुलिस ने कब्जा गैरसायलान का माना है तथा बयानो मे भी कब्जा गैरसायलान का कथन किया है। विकयपत्र मे भी भूमि विवादित को जमालू द्वारा गैरसायलान को विकय करने का उल्लेख भी किया है।

मैने पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। दोनो पक्षो के वकीलो की बहस सुनी। उपलब्ध रिकार्ड से सायलान का भूमि विवादित का

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

कब्जा साबित नही है और कब्जे के अभाव मे प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित नही है।

अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकर कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर टोडाभीम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner